BYJU'S EXAM PREP

Indian Polity Notes Part 3 Hindi PDF

https://byjusexamprep.com

BYJU'S EXAM PREP

राज्य

राज्यपाल

1. राज्यपाल राज्य स्तर पर कानूनन कार्यकारी प्रमुख होता हैं। उनका पद केंद्र के राष्ट्रपति के समान होता है।
2. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. किसी भी राज्य के राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों के व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता हैं

   (A) वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

   (B) उसकी आयु 35 वर्ष प्राप्त करी होनी चाहिए।
4. वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
5. राष्ट्रपति की तरह, गवर्नर भी कई उन्मुक्ति और विशेषाधिकार रखता हैं कार्यालय के अपने कार्य के दौरान, वह किसी भी आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षा नही रख सकता है, यहां तक कि अपने निजी कृत्यों के संबंध में भी नही रख सकता।
6. शपथ - संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रशासित है और यदि वह अनुपस्थित है, तो उस विशेष अदालत के वरिष्ठ-सबसे अधिक न्यायाधीश होता हैं।
7. एक राज्यपाल उस पदावधि से पांच साल की अवधि के लिए अपने पद पर कार्य करता है, जिस पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। वह पद पर कर्तब्यो का पालन करता हैं राष्ट्रपति की खुसी से और वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा प्रदान करता है।
8. किसी राज्य की सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों औपचारिक रूप से उनके नाम पर ली गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया। वे अपने पद अपने कर्तव्य को ख़ुशी से करता हैं।
9. वह एक राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। गवर्नर की खुशी के दौरान अधिवक्ता जनरल का कार्यालय होता है।
10. वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। हालांकि, राज्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समान आधार पर हटाया जा सकता है।
11. वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। हालांकि, उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, न कि राज्येपाल द्वारा।
12. राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अभिन्न अंग है। वह राज्य विधायिका को बुलाने या उसका प्रचार कर सकते हैं और राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
13. उन्होंने राज्य विधान सभा के सदस्यों में से एक छठे स्थान पर नामित किया हैं।
14. वह एंग्लो-इंडियन कम्यूनिटी से राज्य विधानसभा में एक सदस्य को नामांकित कर सकते हैं।
15. राज्यपाल बिल के लिए अनुमति को रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए बिल वापस कर सकता है (यदि वे मनी बिल नहीं हैं), और राष्ट्रपति द्वारा विचाराधीन बिल भी आरक्षित कर सकते हैं। (वह राष्ट्रपति के विचार के लिए एक मनी बिल भी आरक्षित कर सकता है)
16. राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होने पर वह अध्यादेशों को लागू कर सकते हैं। नियमों को विधानसभा के पुनर्गठन से छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। वह किसी भी समय एक अध्यादेश (अनुच्छेद 213) वापस ले सकते हैं
17. मनी बिल राज्य विधान सभा में केवल उनकी पूर्व सिफारिश के साथ पेश किया जा सकता है।
18. वह किसी मामले के संबंध में किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराये जाने वाले किसी भी व्यक्ति की सजा, निलंबित, राहत और छूट का त्याग या निलंबित कर सकता है, जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति (अनुच्छेद 161) फैली हुई है।
19. संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उन्हें राष्ट्रपति द्वारा परामर्शित किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेख

153 - राज्यों के राज्यपाल
154 - राज्य की कार्यकारी शक्ति
155 - राज्यपाल की नियुक्ति
156 - राज्यपाल के पद की अवधि
157 - राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं
158 - राज्यपाल के कार्यालय की स्थितियां
15 9 - गवर्नर की शपथ या प्रतिज्ञा
161 - माफ़ी और दूसरों को देने के लिए राज्यपाल की शक्ति
163 - राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह
165 - राज्य के लिए महाधिवक्ता
200 - बिलों का आश्वासन (अर्थात् राज्य राज्य विधान मंडल द्वारा पारित बिलों के लिए गवर्नर की सहमति)
201 - राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित बिल
213 - अध्यादेशों को लागू करने की राज्यपाल की शक्ति
217 - उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का परामर्श

मुख्य मंत्री और राज्य परिषद के मंत्री

1. मुख्य मंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण (वास्तविक कार्यकारी अधिकारी) है। वह सरकार का मुखिया है

Join Our Classroom Program Now

2. राज्य के कुल मंत्रियों की संख्या मुख्य मंत्री सहित की ताकत, उस राज्य की विधान सभा की कुल शक्ति का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, एक राज्य में सीएम सहित मंत्रियों की संख्या 12 से भी कम नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान 19वीं संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
3. किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित किसी भी सदन के राज्य विधानसभा के सदस्य, जो पार्टी के पक्ष में अयोग्य ठहराए गए हैं, उन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। 2003 के 91 वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधान भी शामिल किया गया था।

राज्य कानूनी स्थिति

राज्य विधानसभा का संगठन

1. भारत के अधिकांश राज्यों में एक समान विधायक है सात राज्यों में द्विराष्ट्र विधानमंडल है- तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक।
2. विधान परिषद ऊपरी सदन है (दूसरा कक्ष या बड़ों का घर), जबकि विधान सभा निचले सदन (प्रथम कक्ष या लोकप्रिय घर) है। दिल्ली और पुडुचेरी केवल दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमे विधानसभा हैं।

राज्य विधानसभा की संरचना

1. विधायी विधानसभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राज्य की आबादी के आकार के आधार पर इसकी अधिकतम ताकत 500 पर तय की जाती है और न्यूनतम शक्ति 60 पर है। हालांकि, सिक्किम के मामले में यह 32 है; और गोवा और मिजोरम में यह 40 है
2. विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधानसभा की अधिकतम शक्ति इसी विधानसभा की कुल ताकत के 1/3 भाग पर तय की गई है और न्यूनतम शक्ति 40 पर तय की गई है। लेकिन जम्मू और कश्मीर में 36 सदस्य हैं।
3. चुनाव के तरीके एक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या:
   (a) 1/3 राज्य में स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुने गए हैं नगर पालिकाओं आदि के रूप में हैं।
   (b) 1/12 तीन साल के स्नातक द्वारा चुने गए हैं और राज्य के भीतर रहते हुए।
   (c) 1/12 राज्य में खड़े तीन साल के शिक्षकों द्वारा चुने गए हैं, माध्यमिक विद्यालय से मानक में कम नहीं हैं।
   (d) 1/3 का विधायी विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऐसे व्यक्तियों के बीच से जो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।
   (e) बाकी राज्यपाल के बीच में से नामित हैं। जिन व्यक्तियों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा का।

इस प्रकार, एक विधायी परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है और राज्यपाल द्वारा 1/6 नामित किया जाता है सदस्यों को एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार चुना जाता है।

दो सदनों की अवधि

1. लोकसभा के अनुरूप, विधानसभा भी एक स्थायी कक्ष नहीं है। आम चुनाव के बाद विधानसभा की अवधि पहली बैठक की तारीख से पांच वर्ष है।
2. राज्यसभा के अनुरूप, विधानसभा एक निरंतर कक्ष है, अर्थात यह स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है। लेकिन, इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवा निर्वीत होते हैं।

राज्य विधान सभा की सदस्यता

1. राज्य विधायिका के किसी सदस्य का चयन करने के लिए संविधान में निम्नलिखित योग्यताएं हैं।
   (A) भारत का नागरिक हो
   (B) वह विधानसभा के मामले में 30 वर्ष से कम उम्र के नहीं होने चाहिए और विधायी विधानसभा के मामले में 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
2. उन्हें RPA, 1951 के प्रावधानों के अनुसार दोषी नहीं पाया जाना चाहिए। पक्षपात मामले में भी एक सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम (10वे अनुसूची) के अनुसार अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
3. इसके अलावा, वह अस्वस्थ मन का नहीं होना चाहिए, उसे लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए; उसे संयुक्त राष्ट्र के निर्वासित दिवालिया आदि घोषित नहीं किया जाता है।

राज्य विधानसभा के अध्यक्षता अधिकारी

1. राज्य विधान सभा के प्रत्येक सदन के पास अपनी अध्यक्षता अधिकारी है। विधायी विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। विधानसभा के लिए अध्यक्ष और परिषद के उपाध्यक्षों के एक पैनल को भी नियुक्त किया जाता है।
2. विधानसभा को अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है।
3. अध्यक्ष की तरह, उपाध्यक्ष भी विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। अध्यक्ष के चुनाव के बाद वह चुने गए हैं।
4. अध्यक्ष को अपने सदस्यों के बीच से ही परिषद द्वारा चुना जाता है।
5. अध्यक्ष तय करते हैं कि बिल मनी बिल है या नहीं और इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम है।

Join Our Classroom Program Now

राज्य विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु

1. राज्य विधायिका के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर छह महीने से अधिक नहीं हो सकता है, अर्थात् राज्य विधानसभा को वर्ष में कम से कम दो बार मिलना चाहिए।
2. कुओरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जो सदन में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है इससे पहले कि वह किसी भी व्यवसाय का संचालन कर सके। या तो उस विशेष सदन में सदस्यों की कुल संख्या का 10 या 1/10 वां (अध्यक्ष अधिकारी सहित)
3. एक सदन के सदस्यों के अलावा, हर मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और भाग लेने का अधिकार है या इसके किसी भी समिति के सदस्य को नाम दिया गया है, लेकिन वकील आम वोट नहीं दे सकते।
4. विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। इसे केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है और वह भी राज्यपाल की सिफारिश पर। ऐसे प्रत्येक बिल को सरकारी बिल माना जाता है और एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है।

पंचायत राज संस्थान पंचायत

1. घास के स्तर पर स्थानीय स्वराज्य पंचायती राज संस्थानों का प्रतीक है।
2. वह क्रमशः 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन क्रमशः 1991 के द्वारा किया गया हैं।
3. जनवरी 1957 में, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) के कामकाज की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की और उनके बेहतर कार्य के लिए उपाय सुझाए। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय जी मेहता थे। यह इस समिति की सिफारिशों के मुताबिक था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज संस्थाएं आईं।
4. राजस्थान पहली पंचायती राज स्थापित राज्य था। नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को प्रधान मंत्री द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद अगला था आंध्र प्रदेश, जिसने1959 में प्रणाली को अपनाया। धीरे-धीरे, अधिक राज्यों का पालन किया।
5. दिसंबर 1977 में, जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों पर एक समिति नियुक्त की, जिसमें भारत में गिरावट PRI को पुनर्जीवित और मजबूत किया गया।
6. जीवीके की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की समिति राव को योजना आयोग द्वारा 1985 में नियुक्त किया गया था।
7. 1986 में, राजीव गांधी सरकार ने एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवन' पर एक समिति नियुक्त की।
8. 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने 'पंचायत' नामक भारत के संविधान के लिए एक नया भाग IX जोड़ा है और इसमें लेख 243 से 243 ओ के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, इस अधिनियम में भी एक नई ग्यारहवें अनुसूची शामिल है संविधान। इस कार्यक्रम में पंचायत की 29 कार्यात्मक वस्तुएं हैं। यह अनुच्छेद 243-जी के साथ काम करता है
9. संशोधन ने एक संवैधानिक संस्था बनाई जिसे ग्राम सभा कहा जाता है, जो ग्राम स्तर पर एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र में गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं का समावेश है।
10. 73 वें CAA प्रत्येक राज्य-गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों में PRI की तीन स्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है।
11. पंचायत के सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। इसके अलावा, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की अध्यक्ष परोक्ष रूप से-चुने गए और चुने गए सदस्यों के बीच में से चुने गए हैं। हालांकि, गांव के स्तर पर एक पंचायत की अध्यक्षता ऐसे तरीके से चुनी जाएगी, जैसा कि राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है।
12. सामान्य शब्द पर पंचायत का सामान्य स्तर पांच साल का होगा। पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले विघटन भी हो सकता है नए चुनावों में पंचायत की समाप्ति से पहले और यदि विघटन हो, तो 6 महीने की समाप्ति से पहले ही आयोजित किया जाना चाहिए।
13. मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देश और नियंत्रण, राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।
14. पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 साल है।
15. कुछ राज्य जहां यह अधिनियम संपूर्णता पर लागू नहीं होता - जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड और कुछ अन्य अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं।
16. यह कार्य 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ और एक नया भाग जोड़ा - भाग नौवां और नौवां-A; और नए कार्यक्रम- भारत के संविधान के लिए 11 वें और 12 वें।

नगरपालिका

1. भारत में शब्द 'शहरी स्थानीय सरकार' लोगों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्र के शासन का प्रतीक है। शहरी स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशिष्ट शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए सीमांकित किया गया है।
2. शहरी सरकार की प्रणाली को 1970 के 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। इसमें एक नया भाग - भाग 9-A जोड़ा गया; और एक नया कार्यक्रम- भारत के संविधान के लिए 12 वें अनुसूची में हैं। कुल मिलाकर भारत में आठ प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं

Join Our Classroom Program Now

3. 1687-88 में, मद्रास में भारत की पहली नगर निगम स्थापित की गई थी।
4. 1726 में, मुंबई और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना की गई थी।
5. लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय-स्व-सरकार के पिता के रूप में माना जाता है। इस संबंध में 1882 के उनके संकल्प को स्थानीय स्वशासन के 'मैग्ना कार्टा' माना जाता है।
6. नोट - भाग 9 वें, 97 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2012 से जोड़ा गया था और सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है।

केंद्र-राज्य संबंध

1. संविधान के भाग XI में 245 से 255 के लेख केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से सुधार के लिए।
2. संविधान में तीन प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है।
   (a) संघ सूची
   (b) राज्य सूची
   (c) समवर्ती सूची
3. संघ सूची उन विषयों के बारे में बताती है जिन पर केवल केंद्रीय संसद ही कानून बना सकती है।
4. राज्य सूची उन विषयों के बारे में बताती है जिन पर भारत में 'सामान्य परिस्थितियों में' केवल राज्यों को कानून बना सकता है।
5. समवर्ती सूची उन विषयों के बारे में बताती है जिन पर दोनों संघ और साथ ही राज्यों को कानून बना सकता है।
6. संघ सूची में वर्तमान में 100 विषयों (मूल रूप से 97 विषयों) शामिल हैं।
7. संघ सूची में विषयों के उदाहरण - रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामलों, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा और इसी तरह।
8. राज्य में वर्तमान में 61 विषयों (मूल रूप से 66 विषयों) शामिल हैं।
9. राज्य सूची में जनजातियों के उदाहरण - सार्वजनिक आदेश, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, जेलों, स्थानीय सरकार, मछली पालन, बाजार, सिनेमाघरों, जुआ आदि।
10. समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषयों (मूल रूप से 47 विषयों) शामिल हैं।
11. समवर्ती सूची में विषयों के उदाहरण - आपराधिक कानून और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक, आबादी नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ड्रग्स, समाचार पत्र, किताबें और छपाई प्रेस, और अन्य
12. हालांकि, यदि राज्य सभा घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस मामले में कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। इस तरह के प्रस्ताव को वर्तमान सदस्यों और मतदान के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। संकल्प एक वर्ष के लिए लागू रहता है; इसे किसी भी समय की संख्या में नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन एक समय में एक साल से अधिक नहीं (अनुच्छेद 24 9)।
13. इसके अलावा, संसद राज्य सूची में मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अभियान में है (अनुच्छेद 250)।
14. इसके अलावा, जब दो या अधिक राज्यों के विधायिकाओं ने राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाने के लिए संसद का अनुरोध करते हुए संकल्प पारित किया, तो संसद उस मामले को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा कानून जो केवल उन राज्यों पर लागू होता है, जिन्होंने प्रस्तावों को पारित किया है हालांकि, किसी भी अन्य राज्य को उसके विधायिका में उस प्रभाव का एक प्रस्ताव पारित करके बाद में अपना सकता है। इस तरह के कानून को संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है न कि संबंधित राज्यों के विधायिकाओं (अनुच्छेद 252) द्वारा।
15. संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों या सम्मेलनों (अनुच्छेद 253) को लागू करने के लिए राज्य सूची में किसी भी मामले पर कानून बना सकती है।
16. नोट - संसद के पास किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है, जो राज्य सूची या समवर्ती सूची (अनुच्छेद 248) में उल्लिखित नहीं है - कानून के अवशिष्ट शक्तियां हैं।
17. सरकार आयोग, रजमान्नर आयोग और पंचाइ आयोग कुछ महत्वपूर्ण कमीशन हैं, जो केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित हैं।

***

Join Our Classroom Program Now

BYJU'S EXAM PREP

Buy Test Series

Unlock All 650+ Mock Tests for SSC & Railway

- Unlimited Access
- All Exams covered
- Designed by Experts
- Performance Analysis

https://byjusexamprep.com